पुनियां बनाम हाकिमसिंह वगैरा

3/39/18 प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 वो 151 जा0दी0

आदेश

दिनांक 12.12.2019

प्राथीयान प्रतिवादी कपूर, जगदीश, विमला, रामा, रूकमणी, गजेन्द्र, रामराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 वो 151 जा0दी0 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादिया ने एक राजस्व वाद घोषणात्मक वो हुक्मइन्तनाई दवामी का आराजी खसरा नम्बर 427, 430, 431, 561, 562, 1432 वाके ग्राम बडौदाकान तहसील कठूमर वावत अदालत श्रीमान में पेश किया था जिसमें वाद तामील प्रतिवादीगण हाजिर आये तथा अपना जवाव दावा पेश किया।

प्रतिवादीगण की तरफ से श्री वीरसिंह चौधरी एडवोकेट मुकदमा की पैरवी कर रहे थे जिन्होंने हमसे कहा कि यह रेवन्यु का मामला है ऐसे मामले लम्बे चलते है इस मुकदमा में जव भी आपकी व्यक्तिशः रूप से हाजिर होने की जरूरत पडेगी मैं सूचना कर दूँगा। मैं आपकी गैरमौजूदगी में मुकदमा की पैरवी करता रहूँगा। इसी वीच वकील श्री वीरसिंह जी के गले में खराबी होने से आबाज कम हो गई। ईलाज लेने के वाद आबाज भी लौट आई और वो ठीक भी हो गये और मुकदमा की पैरवी करते रहे लेकिन वाद में डाक्टरों ने उनका गले का कैंसर घोषित कर दिया। इस वजह से वो दिनांक 24.10.2016 की तारीख पेशी की सूचना प्रतिवादीगण प्रार्थीयान को नहीं कर पाये। इस वजह से नियत दिनांक को हमारे अधिवक्ता व हम प्रतिवादीगण दौरान ट्रायल मुकदमा बास्ते पैरवी मुकदमा अदालत श्रीमान में हाजिर नहीं हुये। माननीय न्यायालय द्वारा हम प्रतिवादीगण की एकपक्षिय कार्यवाही कर दी गई। इसके वाद मुकदमा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2018 को एकपाक्षिय रूप से डिक्री कर दिया। वकील श्री वीरसिंहजी का गले का कैंसर होने के कारण दिनांक 17.10.2017 को निधन हो गया। हम प्रतिवादीगण व हमारे वकील साहव का दौरान ट्रायल मुकदमा दिनांक 24.10.2017 को हाजिर अदालत न आने का सफिसियेण्ट कारण है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ने एकपक्षिण निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.05.2018 को अपास्त (सेटासाइट) कर प्रतिवादीगण प्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर दिये जाने व प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि शुमार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादिया को दिलाई गयी। अधिवक्ता वादिया ने प्रार्थना पत्र का जवाव पेश कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा दावा वादिया पत्रावली पर मौजूदा साक्ष्य का सही निष्कर्ष निकाल कर डिक्री किया गया है। प्रतिवादीगण को जव 2018 में यह जानकारी हो गई कि वीरसिंह एडवोकेट दिनांक 12.10.2017 को ही फौत हो चुके है तो आज तक कोई एडवोकेट को पैरवी के लिये क्यों नियुक्त नहीं किया। प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में दिनांक 24.10.2016 के वाद कई वार वकील साहव से मिलने का जिक्र किया है लेकिन जव प्रतिवादीगण को पता था कि उनके वकील साहव वीमार है तो वो मुकदमा की पैरवी के लिये अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर सकते थे व वकील श्री वीरसिंहजी के गांव रेला जो कठूमर से एक किमी0 की दूरी पर है से सम्पर्क कर सकते थे। लेकिन प्रतिवादीगण ने जान वूझकर मुकदमा की पैरवी बास्ते दूसरा वकील नियुक्त नहीं किया व दावा के एकपक्षिय डिक्री होने का इन्तजार करते रहे। माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की विधिवत एकपक्षिय कार्यवाही कर दावा वादिया विधिनुसार डिक्री किया है। जिस एकपक्षिय कार्यवाही आदेश व निर्णय एंव डिक्री को अपास्त कराने का प्रतिवादीगण के पास कोई ठोस कारण नहीं है इस वजह से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र मय धारा 5 मियाद अधिनियम के खारिज किया जावे।

वहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी वहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान प्रतिवादीगण स्वीकार कर एकपक्षिण निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.05.2018 को अपास्त (सेटासाइट) कर प्रतिवादीगण प्रार्थीयान को सुनवाई का अवसर दिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने कथनों की पुष्टि में छाया प्रति कानूनी नजीर डी एन जे 2010 पेज 201, 202, डी एन जे पेज 189 डी एन जे पेज 164 ला0 166, डी एन जे पेज 2003 पेज 38 से 40 पेश की है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादिया ने अपनी वहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण के कथनों का विरोध करते हुये कथन किया कि प्रतिवादीगण जान वूझ कर दावा में दौरान ट्रायल मुकदमा उपस्थित नहीं हुये और ना अपना अन्य कोई वकील बास्ते पैरवी मुकदमा नियुक्त किया। एकपक्षिय कार्यवाही आदेश की जानकारी होने पर भी मुकदमा के एकपक्षिय निर्णय का इन्तजार करते रहे। प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से मेण्टनेविल नहीं है जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेज कानूनी नजीरों का गहनता से अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को एकपक्षिय कार्यवाही आदेश निरस्त कराने वावत सन् 2016 से पर्याप्त अवसर दिये गये हैं। लेकिन अव मुकदमा के एकपक्षिय डिक्री होने पर प्रतिवादीगण ने मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे पेश करने के लिये प्रतिवादीगण ने कोई समुचित व पर्याप्त कारण नहीं बताये है। अधिवक्ता के वीमार हो जाने व उनका निधन हो जाना कोई पर्याप्त कारण नहीं है। एकपक्षिय कार्यवाही से प्रार्थना पत्र पेश करने तक की अवधि में प्रतिवादीगण द्वारा स्वंय के उपस्थित नहीं होने व अन्य अधिवक्ता वास्ते पैरवी मुकदमा नियुक्त नहीं करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मुकदमे का विधिवत मैरिट पर निस्तारण हुआ है। इस वजह से हम मुकदमा के एकपक्षिय निर्णय एंव डिक्री में किसी तरह का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। जिस कारण प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 व धारा 151 जा0दी0 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आज यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार सिंघल
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर

12.12.2019

Scanned by CamScanner